न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–1/2018/भीलवाड़ा (2018/00001)

1. श्रवण पिता मोहन गर्ग, जाति गर्ग, निवासी मंगरोप, तह0 हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. भंवरलाल पिता मोहन गर्ग, जाति गर्ग, नि0 मंगरोप, तह0 हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा ।
2. कल्याणमल पिता संतोष दास, जाति वैष्णव, नि0 मंगरोप, तह0 हमीरगढ़, जिला भीलवाडा ।
3. जमालुद्दीन पिता अब्दुल बिसायती, मुसलमान, निवासी मंगरोप, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा।
4. जगन्नाथ पिता छोगा लाल कुम्हार, नि0 मंगरोप, तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा ।
5. कैलाश पिता मोहन गर्ग, निवासी मंगरोप, तह0 हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध संशोधित आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा दिनांक 6.12.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 59/2017 .

उपस्थितः–

1. श्री भींयाराम चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 5 अनुपस्थित ।
3. श्री सुवालाल गुंजल, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांक :– 21.6.2018

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित संशोधित आदेश दिनांक 6.12.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111–128 भू–राजस्व अधि0 1956 का अधी0न्याया0 के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मंगरोप, पटवार मण्डल मंगरोप तहसील हमीरगढ़ में उसके खाता संख्या 595 नये व पुराने 537 की कृषि भूमि आराजी नंबर 1934/1 रकबा 0–03 बीघा, आराजी नंबर 1955/1 रकबा 0–17 बीघा, आराजी नंबर 2009 रकबा 0–02 बीघा, आराजी नंबर 2010/1 रकबा 0–08 बीघा, आराजी नंबर 2011/1 रकबा 1–02 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 2–12 बीघा भूमि स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है । प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । इसलिये प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है । आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 4.9.2017 को प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये । तत्पश्चात् प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 29.11. 2017 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 जा0दी0 बाबत् निर्णय 4. 9.2017 में संशोधन कराये जाने हेतु पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 6.12.2017 को स्वीकार कर पूर्व आदेश में पारित आराजियात के क्रम में संशोधित पत्थरगढ़ी के आदेश जारी किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नंबर 1934/1, 1955/1, 2009, 2010/1, 2011/1 कुल किता 5 रकबा 2–12 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अनुतोष चाहा गया था । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0संख्या 1 का प्रार्थना निर्णय दिनांक 4.9.2017 द्वारा स्वीकार कर पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये है । तत्पश्चात् प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 14.11.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 4.9.2014 बाबत् पत्थरगढ़ी में संशोधन हेतु निवेदन किया जिसे अधी0न्याया0 ने दिनांक 6.12.2017को स्वीकार कर आराजी नंबर 1955/1 रकबा 0–17 बीघा व आराजी संख्या 2009 रकबा 0–02 बीघा के बजाय आराजी नंबर 1936/1 रकबा 0–17 एवं आराजी संख्या 2009/1 रकबा 0–02 बीघा की पत्थरगढ़ी एवं पूर्व आदेश में पारित आराजियात की संशोधन पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 द्वारा पारित संशोधित आदेश दिनांक 6.12.2017 विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है

क्योंकि प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 111, 128 मूल प्रार्थना पत्र में ही आराजी नंबर 1955/1 रकबा 17 बिस्वा व खसरा नंबर 2009 रकबा 0–02 बीघा का अंकन करते हुए पत्थरगढ़ी कराने का अनुतोष चाहा गया था । जब मूल प्रार्थना पत्र में गलत आराजी नंबरान का उल्लेख किया गया है तो उस स्थिति में अधी0न्याया0 ने पत्थरगढ़ी के आदेश दिनांक 4.9.2017 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 जा0दी0 पोषणीय नहीं था बल्कि रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अपने आवेदन में गलत आराजी नंबरान का अंकन करने पर दीवानी प्रक्रिया संहित आदेश 6 नियम 17 के तहत समय रहते आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मूल आवेदन में आराजी नंबरान का संशोधन करवाना चाहिये था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि धारा 152 जा0दी0 के तहत न्यायालय स्तर से आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि रह जाये तो उसको न्यायालय स्वविवेक से संशोधन करने के लिये अधिकृत है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से पत्थरगढ़ी हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में ही आराजी खसरा नंबरान का गलत उल्लेख किया है जिसे धारा 152 जा0दी0 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 का पुत्र सतीश कुमार गर्ग अधी0न्याया0 में कार्मिक के पद पर कार्यरत है जिसने पद का दुरूपयोग करते हुए तहसीलदार, हमीरगढ़ को प्रभावित कर तहसीलदार की तरफ से निर्णय दिनांक 4.9.2017 में संशोधन कराने का प्रतिवेदन प्रस्तुत कराया है जबकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश में तहसीलदार को संशोधन करवाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन संशोधित आदेश दिनांक 6.12.2017 को पारित किया है जिसे अपास्त किया जावे ।

xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 का पेश कर ग्राम मंगरोप स्थित आराजी संख्या 1934/1, 1955/1, 2009, 2010/1 एवं 2011/1 कुल किता 5 रकबा 2–02 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी का अनुतोष चाहा था । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 4.9.2017 को स्वीकार कर विवादित आराजियात की पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये है । तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 एवं तहसीलदार, हमीरगढ़ के प्रतिवेदन पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर खसरा नंबर 1955/1 रकबा 17 बिस्वा खसरा नंबर 1935/1 रकबा 17 बिस्वा एवं आराजी नंबर 2009 के बजाय आराजी नंबर 2009/1 रकबा 0–02 बीघा बाबत् दिनांक 6.12.2017 को संशोधित आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 29.11.2017 एवं संशोधित

आदेश दिनांक 6.12.2017 के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन संशोधित आदेश पारित किया है, जबकि अपीलांट एवं शेष रेस्पो0, रेस्पो0 संख्या 1 के पड़ौसी काश्तकार है जिन्हें सुना जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 द्वारा पारित एकतरफा आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 6.12.2017 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 1/2018 (2018/00001) बउनवानी श्रवण बनाम भंवरलाल व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित संशोधित निर्णय दिनांक 6.12.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 21.6.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर